



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237455
CG-DL-E-22072022-237455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3127]
No. 3127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3288(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1486(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में ३० मार्च, २०२२ को प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. 248.5 से कि.मी. 249.5 (प्रान्त औफस भचाउ) तक के भूखण्ड पर पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में उन्नयन का बनाना आदि, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख"०२.०४.२०२२ "को" कच्छमित्र" और "टाइम्स ओफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सबडिविजनल मेजस्ट्रेट, भचाऊ (कच्छ) ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. 248.5 से कि.मी.249.5 (प्रान्त औफस भचाउ)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: कच्छ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रापर				
	गांव का नाम: मौवाणा (शिवगढ)				
1	83	निजी	एग्रिकल्चर	0.345	मदारसंग जिलुभा वाघेला (83)
2	89/1	सरकारी	एग्रिकल्चर	0.21	सरकार (89/1)
3	89/2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0849	गंगाराम भचाभाई कोली (89/2)
4	89/3	निजी	एग्रिकल्चर	0.1645	सामा जेसंग कोली, करमशी करशन जेसंग कोली, वरजंग उर्फ भिखा जेसंग कोली, धरमशी करशन जेसंग कोली, गोमीबेन छगन जेसंग कोली, कानजी करशन जेसंग कोली, पोपट जेसंग कोली, हेमुबेन छगन जेसंग कोली, मिराबेन छगन जेसंग कोली, नीलाबेन पीरा छगन जेसंग कोली, विक्रम पीरा छगन जेसंग कोली, पुंजाबेन पीरा छगन जेसंग कोली (89/3)
5	90/1	निजी	एग्रिकल्चर	0.552	मिनाबा बहादुरसंग वाघेला W/O रविराजसिंह जाड़ेजा (90/1)

6	90/2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0088	भूरा नारण ठांस (90/2)
			कुल	1.3652	

[फा. सं. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3288(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1486 (E) dated 30th March, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for upgradation to two lane with paved shoulder etc., maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from K.m. 248.5 to K.m. 249.5 (Prant office Bhachau) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Kachchhmitra” and “Times of India” both dated 02.04.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority, SUBDIVISIONAL MAGISTRATE, Bhachau (Kachchh).

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Prant office Bhachau) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT District: KACHCHH					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rapar				
	Village: Mauvana (Shivgadhi)				
1	83	Private	Agriculture	0.345	Madarsang Jilubha Vaghela 83
2	89/1	Government	Agriculture	0.21	Government 89/1
3	89/2	Private	Agriculture	0.0849	Gangaram Bhachabhai Koli 89/2
4	89/3	Private	Agriculture	0.1645	Sama Jesang Koli, Karamshi Karshan Jesang Koli, Varjang a.k.a. Bhikha Jesang Koli, Dharmashi Karshan

					Jesang Koli, Gomiben Chhagan Jesang Koli, Kanji Karshan Jesang Koli, Popat Jesang Koli, Hemuben Chhagan Jesang Koli, Miraben Chhagan Jesang Koli, Nilaben Pira Chhagan Jesang Koli, Vikram Pira Chhagan Jesang Koli, Punjaben Pira Chhagan Jesang Koli 89/3
5	90/1	Private	Agriculture	0.552	Minaba Bahadursang Vaghela W/O Ravirajsinh Jadeja 90/1
6	90/2	Private	Agriculture	0.0088	Bhura Naran Thans 90/2
			TOTAL	1.3652	

[F. No. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D]

RAJESH GUPTA, Director